FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी

संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद दिनांक 14.06.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस व एल0टी0 शिक्षक के पदों पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर फर्जी विज्ञापन व दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर आवेदक, उसके परिवारीजन, सगे सम्बन्धियों एवं विद्यालय स्टॉफ सहित अनकों अभ्यर्थियों से मोटी रकम हडपने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

- **अभियुक्तगण आवेदकों से नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं तथा फर्जी ट्रैनिंग सैन्टरों के कॉल लैटर प्रदान कर विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा और पुलिस विभाग आदि के फर्जी नियुक्ति पत्र देते हैं।**

आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र शौकीराम निवासी ग्राम अरमराजट्ट, थाना मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र विपक्षीगण 1. गंगादत्त पुत्र चन्द्रदत्त निवासी ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया एवं 2. नीलम देवी पत्नी गंगादत्त निवासी ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया द्वारा उ0प्र0 पुलिस व एल0टी0 शिक्षक के पदों पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर फर्जी विज्ञापन व दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर आवेदक, उसके परिवारीजन, सगे सम्बन्धियों एवं विद्यालय स्टाफ कुल 24 अभ्यार्थियों से मोटी रकम हड़पने व रुपये मांगने पर गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 13.06.25 को में थाना मक्खनपुर पर मु0अ0सं0 140/2025 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अभि0गण गंगादत्त व नीलम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना मक्खपुर पुलिस टीम को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें उपरोक्त अभियोग से वाँछित अभियुक्तगण 1. गंगादत्त पुत्र चन्द्रदत्त नि0 ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरेया (नामजद अभियुक्त) एवं विवेचना के दौरान अन्य प्रकाश में आए अभियुक्तगण 2- मीरा देवी पत्नी प्रमोद कुमार नि0गण ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरेया, 3- विजेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र योगेन्द्र बहादुर निवासी ऐरवा टिकुर थाना ऐरवाकटरा जिला औरैया को आज दिनाँक 14.06.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य वाँछित अपराधियों की गिरफ्तार हेतु पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर प्रभावी दबिश दी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण –

1. गंगादत्त पुत्र चन्द्रदत्त नि0 ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरेया।
2. मीरा देवी पत्नी प्रमोद कुमार नि0गण ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरेया।
3. विजेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र योगेन्द्र बहादुर निवासी ऐरवा टिकुर थाना ऐरवाकटरा जिला औरैया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ में पता चला है कि महिला मीरा देवी मुकदमा वादी राकेश कुमार को जानती थी। मीरा देवी द्वारा वादी राकेश कुमार को बताया गया कि गंगादत्त पुत्र चन्द्रदत्त निवासी ऐरवा टिकटा थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया बच्चों को विभिन्न विभागों जैसे पुलिस व शिक्षा विभाग आदि में भर्ती कराता है एवं वादी राकेश का गंगादत्त से सम्पर्क महिला मीरा के माध्यम से हुआ था। महिला मीरा देवी भी मुख्य अभियुक्त गंगादत्त के गाँव की ही रहने वाली है। वादी राकेश द्वारा बच्चों से एकत्रित रूपयों को गंगादत्त के खाते में ट्रान्सफर किया गया था। अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ निक्कू का जनसेवा केन्द्र है जो कि अभियुक्त गंगादत्त के कहने पर फर्जी लैटर / नियुक्ति पत्र बनाता / टाइप करता हैं। अभियुक्तगण नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं तथा फर्जी ट्रैनिंग सैन्टरों के कॉल लैटर प्रदान कर विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग आदि के फर्जी नियुक्ति पत्र देते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
2.उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
3.उ0नि0 रोहित तोमर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
4.म0उ0नि0 पूजा सिरोही थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
5.का0 1137 आदित्य कुमार थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. का0 32 दीपक कुमार थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
7..का0 1362 भूपेन्द्र सिंह थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।